भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2697

दिनांक 14 दिसम्बर, 2021/ 23 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं पर अत्याचार

†2697. सुश्री देबाश्री चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यौन उत्पीड़न के मामलों सहित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सामने आए ऐसे मामलों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महिलाओं पर अत्याचार के उन मामलों का ब्यौरा क्या है, जो देश की विभिन्न अदालतों में लंबित है;

(घ) क्या ऐसे लंबित मामलों को तेजी से निपटने के लिए कोई उपाय विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सूचना को संकलित करता है और उसे अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2020 तक की उपलब्ध हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों (यौन शोषण के मामलों सहित) के बारे में एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में कुल 378236 मामले, वर्ष 2019 में 405326 मामले और वर्ष 2020 में 371503 मामले दर्ज किए गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान, आंकड़ों के अनुसार ऐसे किसी रूझान का पता नहीं चलता है।

(ग): एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 के अंत तक महिलाओं के प्रति अपराधों के कुल 1789601 मामले विचारण के लिए लंबित हैं।

(घ) और (ङ): दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, न्याय विभाग बलात्कार और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों के शीघ्र विचारण (ट्रायल) और निपटान हेतु 389 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) गठित करने के लिए वर्ष 2019 से एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। न्याय विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 381 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 681 एफटीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें कुल 64217 मामलों का निपटान किया जा चुका है।

******